पावरलूम बुनकरों को अब फ्लैट रेट पर मिलेगी बिजली

- अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना
- पांच केवी तक के विद्युत कनेक्शन वाले बुनकरों को मिलेगा फायदा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : योगी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर बुनकरों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पांच किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट (मासिक दर) के आधार पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वाराणसी कलाबत्तु, जरी निर्माण मशीन भी शामिल हैं। पांच किलोवाट की सीमा के अंतर्गत ही सहयोगी उपकरणों व पावरलूम के लिए आवश्यक बत्ती-पंखे का भार भी शामिल होगा। यह योजना पहली अप्रैल-2023 से लागू होगी। इस योजना से राज्य सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा।

कैबिनेट बैठक में इस योजना को शुरू करने का निर्णय हुआ। योजना के तहत नगरीय क्षेत्र में पांच किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले बुनकरों के 0.5 हार्स पावर से चलने वाले 60 इंच तक की रीड स्पेस के पावरलूम पर 400 रुपये प्रति माह प्रति पावरलूम बिजली बिल लिया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में पांच किलोवाट तक के विद्युत लोड वाले बुनकरों के एक हार्स पावर से चलने वाले 60 इंच से अधिक रीड स्पेस वाले पावरलूम के लिए 800 रुपये प्रति माह प्रति पावरलूम लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में पांच किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले बुनकरों के 0.5 हार्स पावर से चलने वाले 60 इंच तक की रीड स्पेस के पावरलूम पर 300 रुपये और एक हार्स पावर से चलने वाले 60 इंच से अधिक रीड स्पेस वाले पावरलूम के लिए 700 रुपये प्रति माह प्रति पावरलूम लिया जाएगा।

अभी तक यह थी व्यवस्था

चार दिसंबर 2019 को लागू की गई योजना के तहत अभी तक पावरलूम बुनकरों को एक हार्स पावर के पावरलूम पर 240 यूनिट तक और 0.5 हार्स पावर के पावरलूम पर 120 यूनिट तक 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जा रही थी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पांच किलोवाट के बिजली कनेक्शन से चलने वाले 0.5 हार्सपावर के पावरलूम की संख्या 57,510 और एक हार्स पावर वाले पावरलूम की संख्या 3,131 है। नगरीय क्षेत्र में पांच किलोवाट के कनेक्शन वाले 0.5 हार्स पावर क्षमता के 1,76,066 और एक हार्स पावर वाले 14,115 पावरलूम हैं।

पांच किलोवाट से ज्यादा भार के पावरलूम कनेक्शन को 700 रुपये प्रति हार्सपावर अधिकतम 9100 रुपये प्रति माह के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान ऊर्जा विभाग की ओर से बिल में ही कम करके दिया जाएगा। हथकरघा विभाग द्वारा ऊर्जा विभाग को अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

शर्त यह होगी कि पावरलूम के लिए आवश्यक सहयोगी बत्ती व पंखे का भार पावरलूम और सहयोगी उपकरणों के कुल भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा किसी उपकरण का इस्तेमाल पाये जाने पर अनुमन्य छूट स्थायी तौर पर वापस ले ली जाएगी। उप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावरलूम बुनकरों के लिए समय-समय पर निर्धारित विद्युत श्रेणी जैसे कि एलएमवी-2 या एलएमवी-6 की सामान्य दरों पर नियमानुसार आगणित विद्युत प्रभार पर ली जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का पूरा भुगतान पावरलूम बुनकर को करना होगा। बिजली के स्वीकृत भार से अधिक विद्युत लोड का इस्तेमाल करने पर उन्हें नियमानुसार डिमांड सरचार्ज/पेनाल्टी अदा करनी होगी। बुनकर का घरेलू बिजली कनेक्शन अलग होगा जिसके लिए अलग मीटर लगाया जाएगा। ऊर्जा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि पांच किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वाले पावरलूम बुनकर फ्लैट रेट की सुविधा का दुरुपयोग न करें। इसके लिए हर महीने 10 प्रतिशत उपभोक्ताओं की रैंडम चेकिंग की जाएगी।

योजना का लाभ उन पावरलूम बुनकरों को दिया जाएगा, जिनका परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) और ऊर्जा विभाग की ओर से संयुक्त सत्यापन किया जा चुका है। नए पावरलूम बुनकरों को योजना का लाभ देने के लिए परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) से पावरलूम बिजली कनेक्शन का प्रार्थना पत्र संस्तुत कराना होगा। पावरलूम बुनकर से कनेक्शन प्रार्थना पत्र प्राप्त कर विद्युत विभाग बिजली कनेक्शन देगा। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) पावरलूम बुनकर होने का प्रमाणपत्र जारी करते समय बुनकर की आधार कार्ड संख्या, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का आइएफएस कोड, मोबाइल नंबर और पावरलूम की क्षमता सहित संख्या तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करेंगे।

इस योजना के लिए आनलाइन बिलिंग सिस्टम का नया साफ्टवेयर उप्र पावर कारपोरेशन तैयार कराएगा। एक अगस्त 2020 से 31 मार्च 2023 तक के बिजली बिल का भुगतान भी इसी योजना के अंतर्गत निर्धारित दरों से आच्छादित होगा।